कार्यालय–जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बॉदा।

पत्रॉकः 86 /जि0उ0वि0प्र0आ/बॉदा/2023–24 दिनॉकः 13 जुलाई,2023

विज्ञप्ति/सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बॉदा से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा– 75, उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण बॉट माप अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–सी0पी0 480/2021/84–2–2021सी0एन0 1369528 के क्रम में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जो निम्नलिखित मानदण्ड को पूरा करते हों, अर्ह होंगेः–

1– माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

2– उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य है।

3– सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य है।

4– सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी है जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है।

5– बार में कम से कम 10 साल के अनुभव के साथ वकील है।

6– भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्ध मध्यस्थ है।

7– मध्यस्थता या सुलह में कम से कम 5 साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति है।

8– कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त अधिकारी है।

निम्न व्यक्ति जो अनर्ह होंगेः–

1– ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णीत घोषित किया गया हो।

2– ऐसा व्यक्ति सिके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसा आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हों और लंबित पड़े हों।

3– ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया हो।

4– ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो।

5– ऐसा व्यक्ति, जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे संबंधित हो अथवा जो वृत्तिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी प्रमोटरों, मूल कम्पनी, अनुषंगी कम्पनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से संबंधित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा से जुड़ा हो, तो इस मामले में मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट होने के लिए अनर्ह होगा।

(अ) मध्यस्थों के नियम और शर्ते, मध्यस्थाों को देय शुल्क सहित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 के प्रासंगिक प्रावधानोंके अनुसार होंगी।

(ब) पात्र व्यक्ति अपने आवेदन इस तरह से भेजेंगे कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कलेक्ट्रेट परिसर, बॉदा को अधिकतम दिनांक 30-07-2023 अपरान्ह् 5.00 बजे तक पहुँचे। इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(स) चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जॉच और शार्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशे करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदण्ड को अपना सकती है।

(द) इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक–1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते है।। पूर्ण जानकारी एवं आवेदित प्रारूप को विभाग की बेवसाईट htt//scdrc.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आदेश द्वारा प्रकाशित

12.7.23

(राम सुचित)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
बॉदा।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
बाँदा (उ०प्र०)

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला सूचना अधिकारी, बॉदा को 03 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को कम से कम एक अंग्रेजी समाचार पत्र व बॉदा में प्रचलित एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने के संबंध में आवश्अयक कार्यवाही करें तथा सूचना प्रकाशित होने संबंधी समाचार पत्रों की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय को भी प्रेषित करें।

2– कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

12.7.23

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
बॉदा।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
बाँदा (उ०प्र०)

O/C